न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

बइजलासः–प्रियंका तलानिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सख्याः–07 / 2023

सुरजीतसिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 26 ए अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–– प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व / भू.अ), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

::निर्णय:: दिनांक–10.04.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की चक 26 ए मे पत्थर नं.–329 / 433 खाता संख्या–119 मे सरजीत सिंह के नाम से कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में सुरजीत सिंह है। प्रार्थी का नाम सरजीत सिंह के स्थान पर सुरजीत सिंह करने का श्रम करावें।

तहसीलदार, अनूपगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजि. किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चक–26 का पत्थर नं.–329 / 433 व पत्थर नं.–329 / 435 का 2.055 हैक्टेयर कमाण्ड / अनकमाण्ड रकबा सरजीतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी का नाम जरिए इंतकाल सं.–274 दस्तबरदारी दिनांक 05.09.2008 से दर्ज हुआ है। जिसमें प्रार्थी का नाम सरजीतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह दर्ज था। जो आगे की समस्त जमाबंदी में दर्ज आ रहा है।

तदुपरांत बहस सुनी जाकर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायालय की राय में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अपने पक्ष में साबित / सिद्ध करने में सफल रहे कि प्रार्थी का नाम सरजीत सिंह ना होकर सुरजीत सिंह है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर चक– चक 26 ए मे पत्थर नं.–329 / 433 खाता सख्या–119 कुल 2.055 हैक्टर कृषी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सरजीत सिंह के स्थान पर सुरजीत सिंह एतदद्वारा दुरूस्त किया जाता है। अप्रार्थी तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त दुरूस्ती का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक–10.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.06.26 13:41:29 IST
Reason: SelfAttested